न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–37 सन् 2019

कृष्णा राय .....वादी

बनाम

बद्री राय वो अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 28.07.2021

उभय पक्षों की हाजरी है। आज अभिलेख वादी के तरफ दिनांक 16.07.2019 को दाखिल आवेदन अंदर दफा 6 रूल 17 वो दफा 151 के अंतर्गत पर प्रतिवादी के तरफ से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। आज अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

वादी ने अपने आवेदन में कथन किया है कि वर्तमान वाद के दाखिल होने के पश्चात् प्रतिवादी उपस्थित हो चुके हैं। परंतु अभी तक अपना बयान तहरीरी दाखिल नहीं किए हैं। प्रतिवादी सं0 1 बद्री राय बदौरान मोकदमा हाजा बराह बदनियती असमाजिक तत्वों के सहयोग से मोकदमा हाजा में अपना बेयान तहरीरी दाखिल करने से पूर्व एराजी तकरारी सिडियुल नं0 1 वो 2 से दिनांक 02.07.2019 को वादी को बेदखल करके अस्थाई रूप से उसके पूर्व से बने पलानी रखकर नांद, खूंटा गाड़कर मूल स्वरूप को बदलना चाहते हैं। प्रतिवादी के उपरोक्त गैर कानूनी कार्यवाही के वजह से वर्तमान संशोधन आवेदन पत्र की आवश्यकता हुई है जो न्यायहित में आवश्यक है। वादी प्रस्तावित संशोधन के आलोक में उचित न्यायशुल्क देकर वाद पत्र में प्रस्तावित संशोधन का प्रार्थना करता है। प्रस्तावित संशोधन के कम में वादी को यह जानकारी हुई कि टंकक की गलती से कुछ शब्द छुट गया है तथा कुछ शब्द गलत टाईप हो गया है। जिसके वजह से अर्जीदावी में भेगनेंस आ गया है। जिसे भी दूर करना न्यायहित में आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन से वर्तमान वाद के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आयेगा क्योंकि प्रस्तावित संशोधन फॉरमल नेचर का है। वर्तमान संशोधन आवेदन को स्वीकार नहीं होने से वादी को अपूर्णिय क्षति होगी।

प्रतिवादी के तरफ से अपने प्रतिउत्तर में कथन किया है कि वादी बिल्कुल गलत बेयान के साथ मोकदमा दाखिल किए हैं। बिल्कुल गलत बेयान के साथ मरम्मती का आवेदन दाखिल किया है। जो काबिल मंजूरी के नहीं है बल्कि काबिल खारिज के हैं। मरम्मती आवेदन काल बाधित है जिसके वजह से वादी का मरम्मती आवेदन काबिल खारिज के हैं। प्रतिवादी इस मोकदमा में हाजिर होकर दिनांक 17.09.2019 को बेयान तहरीरी दाखिल किए है वो बेयान किए है कि

तकरारी जमीन पर प्रतिवादी सं0 1 अपने बिकेता के पिता के जीवनकाल से बटाई पर लेकर जोत आबाद करते चला आ रहा है तथा बाद मरने बिकेता के पिता, बिकेता से दिनांक 12.08.2013 को उचित जरसमन देकर अन्य जमीनों के साथ तकरारी जमीन का बैनामा करवाया वो बिकेता के पिता के नाम चल रहे जमाबंदी नं0 125 का उतपरिवर्तन कर प्रतिवादी सं0 1 के नाम जमाबंदी सं0 360 कायम करवाया तथा तकरारी जमीन पर पूर्ण रूपेण दखल कब्जा में रहते हुए उसमें अपने जीवकोपार्जन वास्ते गौशाला खोला है। जिसमें 15 से 20 दुधारू गाय, भैंस, नाद, खूंटा पलानी अवस्थित है। जिससे 5 से 6 परिवार का जीवकोपार्जन होता आ रहा है। जिसकी पूर्ण जानकारी वादी को शुरू से ही थी जिसको छुपाकर वादी ने मोकदमा दाखिल किया है जिसके वजह से भी वादी का मरम्मती आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है। कभी भी प्रतिवादी सं0 1 दिनांक 02.07.2019 को तकरारी जमीन से वादी को बेदखल नहीं किए वो न बेदखल करने का प्रश्न उठता है। वादी गलत बयान किया है कि दिनांक 02.07.2019 को तकरारी जमीन से बेदखल कर दिए, बेदखली का जो बेयान कर वादी अर्जीनाशिल में मरम्मत करना चाहते हैं। काबिल मंजूर के नहीं है काबिल खारिज के हैं। वादी ने मालाफाईडी इन्टेन्सन से मरम्मति का आवेदन पत्र दाखिल किया है जो काबिल खारिज के है। इस नये मरम्मतो से मोकदमा का स्वरूप बदल जाता है जिसके वजह से वादी का आवेदन पत्र मंजूर होने लायक नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का मरम्मती आवेदन दिनांक 16.07.2019 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन स विदित होता है कि वादी के द्वारा वादपत्र में संशोधन हेतु आवेदन दिया गया है। संशोधन औपचारिक प्रकृति एवं पश्चातवर्ति घटना से संबंधित है। वाद अभी प्रारंभिक चरण में है। अभी वाद बिन्दु का गठन नहीं किया गया है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 16.07.2019 को मोबलिक 700/– रूपया खर्चा पर स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है क इस आदेश के 14 दिनों के अंदर नाजिर के समक्ष अपने आवेदन के आलोक में मरम्मती कर लें।

वाद दिनांक 21.09.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।